

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1548 /2021      दिनांक : 12.07.2021

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.  
 (3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 मपठित गजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 30 दिवस के उत्तर्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुबंध किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित नामिकानुसार उत्तर्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	समर्पित अवकाश की दिनांक
1	श्री युवराज सिंह (RJ0763), विधि एवं अनि. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, केकड़ी (अजमेर)	30	26.06 - 20.07.2022 03/07/21

आज्ञा से

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.वी.३(4)/46/2013/ 4452

दिनांक : 12.07.2021

प्रथिनिपि निम्न को मूल्यार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है :-

1. प्रगुच्छ शामन मन्त्रिव. विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं मेशन न्यायाधीश, अजमेर।
3. श्री युवराज सिंह (RJ0763), विधि एवं अनि. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, केकड़ी (अजमेर)।

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

  
12.07.2021 ५०५